डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
से. पु. भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108 भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422] भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 सितम्बर 2005—भाद्र 14, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2005

क्र. 5259-295-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 25 अगस्त, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २००५.

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २००५

[दिनांक २५ अगस्त, २००५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ सितम्बर, २००५ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २००५ है.

(२) यह १ जून, २००५ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ३ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ की उपधारा (१) के परन्तुक में, खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"(तीन) (क) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को बेची या प्रदाय की गई हो;

(ख) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को बेची या प्रदाय की गई हो.".

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2005

क्र. 5460-245-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 OF 2005.

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005.

[Received the assent of the Governor on the 25th August, 2005; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 5th September, 2005.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 2005.

Amendment of Section 3.

2. In the proviso to sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), after clause (ii), the following clause shall be added, namely:—

"(iii) (a) sold or supplied to the Madhya Pradesh State Electricity Board by the Madhya Pradesh Power Generating Company Limited, Jabalpur, registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);

(b) sold or supplied to the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Bhopal, the Madhya Pradesh Pashchim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited Indore and the Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Jabalpur by the Madhya Pradesh State Electricity Board.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.